

17-06-2016

आवेदिका द्वारा श्री जितेन्द्र मंगलानी अधिवक्ता।  
अनावेदक अनुपस्थित।

प्रकरण अनावेदक की उपस्थिति हेतु नियत है।

अनावेदक की उपस्थिति हेतु जारी गिरफ्तारी वारंट  
मय फरारी पंचनामा के वापस प्राप्त।

प्रकरण में सहायक उपनिरीक्षक अनिल पाठक के  
फरारी साक्ष्य लेखबद्ध किये गये।

प्रकरण के अवलोकन से तथा सहायक उपनिरीक्षक  
अनिल पाठक की फरारी साक्ष्य से दर्शित है कि विवेचना के  
दौरान अनावेदक गणेश की यथासंभव स्थानों पर तलाश की  
गई किन्तु उसका कोई पता नहीं चला है। पूर्व में अनावेदक  
की उपस्थिति हेतु गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये थे, किन्तु  
प्रत्यर्थी का कोई पता नहीं चल पाया था, जिसके संबंध में  
पुलिस थाना हट्टा द्वारा फरारी पंचनामा तैयार कर पेश  
किया गया था। अनावेदक गणेश के भविष्य में मिलने की  
कोई संभावना नहीं है। अतः अनावेदक गणेश के विरुद्ध  
धारा-299 द0प्र0सं0 अंतर्गत कार्यवाही की जाकर प्रत्यर्थी को  
फरार घोषित किया जाता है।

उक्त अनावेदक के विरुद्ध आज ही पुलिस अधीक्षक  
बालाघाट के माध्यम से लाल स्याही से लेख कर स्थाई  
गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावे। प्रकरण में कोई सम्पत्ति  
जप्त/पेश नहीं है।

चूंकि प्रकरण में उक्त अनावेदक के विरुद्ध विचारण  
की कार्यवाही शेष है। अतः प्रकरण के पृष्ठ भाग पर लाल  
स्याही से प्रत्यर्थी फरार है, प्रकरण नष्ट न किया जावे की  
टीप अंकित कर प्रकरण अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

सही/—

(राकेश कुमार ठाकुर)

न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय  
बालाघाट, म0प्र0